न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील संख्या एलआर 149/2012/एल.आर.एक्ट/भीलवाडा(2012/00007)

1. बद्री पुत्र काशीराम जाति ब्राहमण निवास गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

———अपीलान्ट्

बनाम

1. बंशीदास पुत्र कालूदास बैरागी निवासी ग्राम अरनोटा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सहाडा जिला भीलवाडा

———**रेस्पोडेन्ट्स**

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर दिनांक 27.2.2012 प्रकरण संख्या 45/2009

———

उपस्थित– 1. श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

———

निर्णय

दिनांकः– 19.02.2019

अपीलांट ने यह अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) के निर्णय दिनांक 27.2. 2012 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) प्रकरण संख्या 45/2009 के विरूद्ध धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा संख्या 133 रकबा 0ण्20 है0, 135 रकबा 0.66 है0 144 रकबा 0.25 है0 245 रकबा 0.06 है0, 246 रकबा 0.06 है0, 247 रकबा 0.45 है0 248 रकबा 0.40 है0, 249 रकबा 0.03 है0, 250 रकबा 41 है0, 252 रकबा 0.38 है0, 258 रकबा 0.13 है0, 259 रकबा 0.06 है0, 260 रकबा 0.30 है0, 276 रकबा 0.05 है0, 277 रकबा 0.10 है0, 278 रकबा 0.04 है0, 279 रकबा 0.20 है0, 132 रकबा 0.64 है0, 134 रकबा 0.21 है0, कुल किता 21 रकबा 5.36 है0 जिसके साबिक खसरा संख्या नं0 30 रकबा 2 बीधा 13 बिस्वा, 31 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा 32 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा 45 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा 46 2 बीघा 19 बिस्वा, 47 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 48 रकबा 13 बिस्वा, 49 रकबा 5 बिस्वा 50 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 51 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा 52 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 53 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 298/4 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 13 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपीलांट के नाम दर्ज थी। ग्राम अरनोटा की सीमा में रेस्पोडेंट बंशीदास की साबिक आराजी नं0 61 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा थी उसमें से 6 बीघा आराजी आवंटित थी तथा साबिक रेकार्ड में इन्द्राज कर दिया जिससे शेष

क्रमशः.....2

रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा साबिक नक्शे से पूर्व व पश्चिम दोनों दिशा में छूटा हुआ था। बंदोबस्त में रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम हाल आराजी नं0 245/589 रकबा 0.10 है0, 253 रकबा 0.26 है0 254 रकबा 0.33 है0 255 रकबा 0.19 है0 257 रकबा 0.42 है0 कुल किता 5 रकबा 1.30 है0 साबिक आराजी नं0 61 रकबा 6 बीघा के पूर्व व पश्चिम में बिलानाम रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा का छूटा हुआ था लेकिन बंदोबस्त के दौरान भू प्रबंध अधिकारियों ने बिना किसी आदेश के हाल आराजी नं0 257 रकबा 0.47 है0 को पश्चिम दिशा में बढा दिया। भू प्रबंध विभाग की इस कार्यवाही के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज हाल आराजी नं0 257 रकबा 0.47 है0 में से 0.10 है0 भूमि पश्चिम दिशा में से कम करके बिलानाम दर्ज किया जावे व आराजी 245/589 रकबा 0.10 है0 में रकबा 0.05 है0 बिलानाम आराजी 244 में बढाया जावे व रकबा 0.15 है0 दर्ज किया जावे व आराजी 255 रकबा 0.19 है0 में से 0.05 है0 रकबा आराजी 244 मे से बढाया जावे तथा बिलानाम दर्ज हाल आराजी 244 रकबा 0.19 है0 का रकबा आराजियात के दोनो दिशा पूर्व व पश्चिम दिशा मे साबिक नक्शे के अनुसार दर्ज भूमि छोडते हुए हाल नक्शे को दुरूस्त किया जावे एवं रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इस प्रार्थना पत्र को सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.2.2012 को अपास्त करने संबंधी यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील से संबंधित अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया। दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. अपीलांट अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 नं0 1 बंशीदास को साबिक आराजी खसरा नं0 61 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा में से 6 बीघा आराजी का आवंटन किया गया था एवं जिसका साबिक रेकार्ड एवं नक्शे में इन्द्राज कर दिया था एवं उक्त खसरा नम्बर में से अवशेष 1 बीघा 07 बिस्वा साबिक नक्शें में पूर्व व पश्चिम दोनों दिशा में छूटा हुआ था। बंदोबस्त में विपक्षी संख्या 1 के नाम हाल आराजी खसरा नं0 245/589 253, 254, 255 व 277 कुल किता 5 रकबा 1. 30 है0 साबिक आराजी खसरा नं0 61 रकबा 6 बीघा के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में बिलानाम रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा का छूटा हुआ था लेकिन दोराने बंदोबस्त भू प्रबंध अधिकारियों ने बिना किसी आदेश के हाल आराजी संख्या 257 रकबा 0.47 है0 को पश्चिम दिशा की तरफ बढा दिया गया जबकि साबिक नक्शे में पश्चिम दिशा में 10 बिस्वा भूमि साबिक आराजी नं0 61 मिन छूटी हुई थी जिसमें अपीलांट अपनी आराजीयात में आवागमन करता है जहां पर उसका एक ट्यूब वैल एवं घर बना हुआ है व पूर्व दिशा में हाल आराजी नं0 244 रकबा 0.29 है0 को गलत फिट कर दिया जबकि साबिक नक्शे के अनुसार ही नवीन नक्शा बनाना चाहिये था लेकिन दोराने बंदोबस्त अधिकारियों ने गलत रूप से उक्त आराजीयात को नक्शे में फिट कर दिया जबकि दौराने बंदोबस्त भू प्रबंध अध्शिकारियों को नक्शे के आकार/सेप में भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों को नजर अंदाज कर सरसरी तौर पर आदेश प्रदान करने में कानूनी भूल की है।

4. अपीलांट अभिभाषक ने बहस जारी रखते हुए कथन किया कि साबिक नक्शे के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज हाल आराजी संख्या 257 रकबा 0.47 है0

क्रमशः.....3

में से 0.10 है0 भूमि पूर्व दिशा में कम करके रकबा 0.37 है0 एवं हाल आराजी खसरा नं 245/589 रकबा 0.10 है0 में रकबा 0.05 है0 बढाया जाना चाहिये एवं खसरा नं0 255 रकबा 0.19 है0 में रकबा 0.05 है0 बढाना चाहिये एवं बिलानाम दर्ज हाल खसरा नं0 244 रकबा 0.29 है0 का रकबा रेस्पो. की आराजी के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में साबिक नक्शें के अनुसार दर्ज जिससे हाल आराजी नं0 244 रकबा 0.10 है0 छूटना चहिये एवं हाल नक्शे की दुरूस्त करना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं कर सरसरी तौर पर अपीलांट का प्रार्थना निरस्त कर दिया जो नियमानुसार उचित नहीं है।

5. अभिभाषक अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए अपीलांट रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट को भूमि आवंटन से प्राप्त हुई थी एवं पूर्व में गैरखातेदारी एवं तदुपरांत खातेदारी प्राप्त होना राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से ट्यूब वेल खोदना एवं एक कमरा निर्मित करवा लिया एवं इस आधार पर अपना हक जमाना चाहता है जो वैधानिक रूप से उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा किसी स्तर पर यह सिद्ध नहीं पाये है कि जहां उनके द्वारा ट्यूब वैल व कमरा निर्मित किया है वह भूमि उसके अधिकार क्षैत्र की है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय हाजा की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध राजस्व अभिलेख यथा पर्चा मौका, नजरी नक्शा आदि के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट बद्री द्वारा जिस पर ट्यूबवेल व कमरा निर्मित किया गया है वह अनाधिकृत है एवं केवल इसी आधार पर वह रेस्पोडेंट बंशीदास की भूमि को बिलानाम सरकार करवाते हुए स्वयं के नाम करवाना चाहता है जो साक्ष्यों के अभाव में उचित नहीं है। प्रकरण में अपीलांट क्लीनहेण्ड से नहीं आये है। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख अनुसार रेस्पोडेंट को जो भूमि आवंटित हुई थी वह उसे पूर्व में गैर खातेदारी एवं तदुपरात खातेदारी प्राप्त होना रेकार्ड के अनुसार स्पष्ट है। अतः प्रार्थी की यह अपील प्रथमदृष्टया सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 149/2012 (2012/00007) बउनवान बद्री बनाम बंशीदास सारहीन एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर द्वारा प्रकरण संख्या 45/2009 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2012 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(के0के0 शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के0के0 शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.02.22 11:24:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: